कार्यालयः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

पत्रांक...1509 कैम्प

प्रेषकः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बक्सर।

सेवा में,

पंचायत सचिव
–सह–
सदस्य सचिव
पंचायत नियोजन इकाई,...नचाप...

बक्सर, दिनांक...14/12/15.../

विषयः– पंचायत नियोजन इकाई की उर्दू शिक्षकों की अंतिम मेधा सूची अनुमोदनोपरान्त वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली 2012 के क्रमांक II की कंडिका घ (2) में प्रखण्ड एवं पंचायत नियोजन इकाई की अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। जिसके आलोक में ~~प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी~~/पंचायत सचिव...नचाप...के पत्रांक...01...दिनांक...14-12-15...द्वारा प्रस्तुत मेधा सूची में अंकित BETET (URDU) की जाँच कर निम्न शर्त के साथ अनुमोदन कर लौटाई जाती है।

1- मेधा सूची का अनुमोदन आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर किया गया है।
2- यदि अनुमोदित सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय। साथ हीं अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम एवं कोटि का मिलान अवश्य कर हीं नियोजन की कार्रवाई की जाय।
3- तीन दिनों के अन्दर मेधा सूची का सार्वजनीकरण एवं NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराने के बाद हीं नियोजन संबंधी अग्रेतर की जाय।
4- रोस्टर एवं मेधा सूची का अनुपालन करते हुए विभागीय नियमानुसार नियोजन की अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। साथ ही इन्टरमीडिएट एवं स्नातक में विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
5- नियोजित शिक्षकों को पत्र निर्गत की तिथि से तीस दिनों के अन्दर योगदान देने का निर्देश दिया जाय। तीस दिनों तक योगदान नहीं करने पर अभ्यर्थी का नियोजन संबंधी दावा भी अमान्य करने का नियोजन पत्र में उल्लेख किया जाय।
6- संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं रिक्त रह गए पदों की संख्या विषयवार एवं कोटिवार प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
7- अनुमोदित सूची के आधार पर **GENUINE** अभ्यर्थियों को ही 28-12-2015 को नियुक्ति पत्र दिया जाय।
8- नियोजन इकाई द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाय कि अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करके ही अभ्यर्थी का योगदान विद्यालय में लिया जाय।

विश्वासभाजन

अनुमोदित सूची कुल 02 पृष्ठ

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बक्सर।

ज्ञापांक...1509...कैम्प बक्सर, दिनांक...14/12/15.../

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित विन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर नियोजन कार्य सम्पन्न करायें।

14.12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बक्सर।